



सूचना
का अधिकार

पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सैक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



पावरग्रिड

के.आ./के.आ./सू.अ/2018/07

दिनांक : 17 ^{अप्रैल} ~~मार्च~~, 2018

श्री कंचन कुमार,
ग्राम: अशोकनगर,
पोस्ट: नौलखी, भाया: मुरलीगंज,
जिला: पूर्णिया,
बिहार - 852 122

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना
महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 02.04.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा आपने सूचना का
अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगी थी

आपके द्वारा मांगी गई जानकारी **अनुबंध क** पर संलग्न है ।

यदि आप लोक सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप जवाब मिलने के 30
दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
अपीलीय अधिकारी का पता निम्नवत है :

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी, प्लॉट नं. 2, सैक्टर - 29 , गुडगांव - 122001, हरियाणा
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

धन्यवाद ।

भवदीय,

(अजय होलानी)

अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

श्री कंचन कुमार द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये
आवेदन दिनांक 02 अप्रैल 2018 के संबंध में

क्रम संख्या	आर. टी. आई प्रश्न	उपयुक्त जवाब
1	क्या उक्त मामले में F.I.R. दर्ज हो गई है	नहीं
2	यदि FIR दर्ज हो गई है तो F.I.R. की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।	- लागू नहीं
3	सतर्कता अनुभाग, पावरग्रिड जांच की समयावधि 90 दिन को कितना बढ़ा सकती है	यह संबंधित केस पर निर्भर करता है
4	जांच के लिए अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम उपलब्ध कराएं।	चुकि जांच जारी है अतः सूचना अधिनियम 8 (1) (h) के तहत इस सूचना को साझा नहीं किया जा सकता है।

1.

दीक्षित